

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19-सी, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना / विज्ञप्ति

पत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-9-575/2018

दिनांक: अक्टूबर 25, 2019

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (सी) संख्या 23223/2018 सौरभ यादव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध मिसलेनियस अप्लीकेशन नम्बर 721/2019, 720/2019 एवं 711/2019 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14-10-2019 के अनुपालन में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत 769 चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का विवरण।


मा0 उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 (एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या-12538/2016) आलोक कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27-11-2018 के अनुपालन में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत 769 चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची बोर्ड के सूचना/विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-भ-9-575/2018 दिनांक 20-9-2019 के द्वारा बोर्ड के वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी थी।

2- उक्त सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (सी) संख्या 23223/2018 सौरभ यादव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध मिसलेनियस अप्लीकेशन नम्बर 721/2019, 720/2019 एवं 711/2019 में मा0 उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिनांक 14-10-2019 के द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत 769 चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का विवरण बोर्ड के वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

3- अतः मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-10-2019 के अनुपालन में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत 769 चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का विवरण बोर्ड के वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर प्रदर्शित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थीगण अपना अनुक्रमांक व जन्मतिथि प्रविष्टि कर अपने प्राप्तांक देख सकते हैं।

4- यह चयन अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण और कागजातों/चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन है।

5- जो सूचनायें इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।


अपर सचिव, भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।